



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1132]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 26, 2006/आश्विन 4, 1928

No. 1132]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 26, 2006/ASVINA 4, 1928

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2006

(आयकर)

का.आ. 1612(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा निदेश देता है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट मुख्य आयुक्त, जिनका मुख्यालय उक्त अनुसूची के कालम(3) की तदनुरूपी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट स्थान पर है, ऐसे भूभागों या ऐसे व्यक्तियों या व्यक्ति समूहों अथवा ऐसी आयों या आय समूहों अथवा ऐसे मामलों या मामलों के समूहों के संबंध में शक्तियों का प्रयोग करेंगे और कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे जिनके संबंध में उक्त अनुसूची के कालम (4) की तदनुरूपी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट आयकर आयुक्त को क्षेत्राधिकारी प्राप्त है।

अनुसूची

क्रम सं.	आयकर प्राधिकारी का पदनाम	मुख्यालय	अधिकार क्षेत्र
1	2	3	4
1.	मुख्य आयुक्त, एल टी यू, बंगलौर	बंगलौर	आयकर आयुक्त (एल टी यू) बंगलौर

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी।

[अधिसूचना सं. 274/2006/फा. सं. 187/8/2006-आयकर निर्धारण-I]

दीपक गर्ग, अवर सचिव